ISSN 2395-051X

स्वतंत्र भारत में जनजातीय विकास योजनाएं (एक ऐतिहासिक सामाजिक विश्लेषण)

डॉ. रश्मि दुबे

प्राध्यापक, समाजशास्त्र

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोतर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश -

भारत देश को आजाद हुये 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। देश में हमेशा राष्ट्रीय विकास की बात होती है, विकास की प्रक्रिया का इतिहास बहुत पुराना है। विभिन्न कालों में जितने भी शासक आये वे सब किसी न किसी रूप में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को बनाये रखने में योगदान देते रहे हैं। हमारे देश के स्वतंत्र होते ही धर्म निरपेक्ष संविधान की स्थापना हुई। प्रजातांत्रिक एवं गणतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की गई तथा समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। हमारे देश के निर्माताओं द्वारा ऐसा महसूस किया गया कि सदियों से उपेक्षित, शोषित तथा उत्पीड़ित वर्ग का विकास नहीं हो पाया है जनजातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनमें राष्ट्रीय संस्कृति के विकास करने के लिये जनजातीय विकास की अवधारणा विकसित की गई है। हमारे धर्म निरपेक्ष संविधान में वर्णित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये जनजातियों को सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक सुरक्षा प्रदान की गई तथा उनके विकास के लिये अनेक प्रकार की योजनायें लागू की गई

मुख्य शब्द - जनजाति, संवैधानिक योजनायें, जनजाति मंत्रालय

जनजाति विकास शब्द की अवधारणा से पहले हमें जनजाति व विकास को अलग अलग समझना होगा भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में जनजातियां देश की सांस्कृतिक धरोहर हैं। विभिन्न विद्धानों ने जनजातियों को अनेक नामों से संबोधित किया है। जे.एच.हट्टन ने इन्हे आदिम जातियां, वेरियर एल्विन ने देश का मूल स्वामी, जी.एस. घुरिये ने पिछड़े हुये हिन्दू तथा आर.के.दास ने इनके लिये दलित मानवता आदि संज्ञाओं को उपयुक्त माना है। डी.एन.मजूम-दार के अनुसार जनजाति परिवारों तथा पारिवारिक वर्गों का ऐसा समूह जिसका सामान्य नाम है, जिसके सदस्य निश्चित भू-भाग पर निवास करते है विवाह व्यवसाय में निषेधाज्ञाओं का पालन करते हैं तथा जिन्होंने आदान प्रादन संबंधी निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया हो। जेकब्स तथा स्टर्टन ने जनजातियों को एक ऐसा ग्रामीण समूह बताया है जिसकी एक समान भूमि हो तथा जिस समुदाय के व्यक्तियों का जीवन आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे के साथ ओतप्रोत हो जनजाति कहलाता है और

ISSN 2395-051X

विकास का अर्थ है वांछित दिशा की ओर परिवर्तन पर यदि हम जनजातियों के विकास की बात करें तो प्रश्न यह उठता है कि विकास में किसकी इच्छा, योजना बनाने वालों की, उसे लागू करने वालों की या फिर जनजातियों की, यह एक बहुत अहम प्रश्न है क्योंकि प्रायः जनजाति विकास के नाम पर सरकारी योजनाओं और सवर्णों की इच्छा ही जनजातियों की मानी गई है। वैसे जनजातीय विकास के आरम्भ का श्रेय मौर्य राजा अशोक को दिया जाता है जिसने इस कार्य के लिये मंत्रिमण्डल में एक मंत्री की नियुक्ति की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जनजातियों पर यह टिप्पणी की गई कि जनजातीय भरोसा करने लायक नहीं है उसके बाद से मध्यकालीन भारत के अंत तक किसी राजा महाराजा या बादशाह-शहंशाह को ऐसे समाजो से कोई सरोकार रहा हो ऐसा उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि शायद जनजाति को लेकर सभी किसी अनजाने भय से भयभीत थे।

आधुनिक भारत में अंग्रेजों ने जनजाति विकास को एक व्यवहारिक रूप दिया परन्तु इनका लक्ष्य जनजातीय समाजों का विकास नहीं था - अंग्रेजों के दो लक्ष्य प्रमुख थे पहला - जनजातियों को ईसायत का पाठ पढ़ाकर अंग्रेजी सत्ता का पक्षधर बनाना तथा दूसरा उन्हें स्वाधीनता संघर्ष से दूर रखना। यही कारण था कि सन् 1920 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं को जनजातियों की स्थिति का पता तक नहीं चला स्वतंत्रता के समय ही स्थिति को पहचान लिया गया था। इसलिये संविधान में धारा 38 और धारा 46 को जोड़ा गया ताकि पिछड़े वर्गों को शोषण से बचाया जा सके तथा आर्थिक विकास में उनकी सहायता की जा सके। आरम्भ में ही यह तय कर लिया गया था कि जनजातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ एकीकृत किया जाये इस उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना लागू की गई लेकिन कुछ लाभ स्वार्थी जनजातीय तत्वों के हाथ में लगने से उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई इन्हें जनजातीय अभिजात नाम दिया गया इसके ठीक विपरीत एक बड़ा मानव समूह जो किसी तरह अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखते हुये सरकारी सहयोग की उम्मीद लगाये बैठा था। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने 28 सितम्बर 1949 को स्वर्गीय अनन्त शयनम् अयंगार की अध्यक्षता में आदिम जातियों की सूची तैयार करने के लिये एक समिति का गठन किया गया जिसके आधार पर 1950 में अनुसूचित जनजाति की राज्यवार सूची जारी की गई। इस सूची में शामिल होने के लिये बहुत आवेदन आ रहे थे इस कारण भारत सरकार ने 1960 में चंदा समिति का गठन किया। इस समिति ने जनजाति की सूची में शामिल होने के लिये पांच मानक निधरित किये - भौगोलिक एकाकीपन, विशिष्ट संस्कृति, आदिम जाति के लक्षण, पिछड़ा पन और संकोची स्वभाव।

अध्ययन का उद्देश्य व अध्ययन पद्धति - भारत देश को आजाद हुये 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। देश में हमेशा राष्ट्रीय विकास की बात होती है विकास की प्रक्रिया का इतिहास काफी पुराना है यह कहना पूर्णतया गलत होगा कि जनजातियों का विकास सामान्य जाति, सभ्यता व संस्कृति के संपर्क में आने से हुआ है। दरअसल पूंजीवादी प्रक्रिया के कारण जनजाति अंग्रेजी शासन काल में ही परिचित हो गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उपलब्ध आंकड़ों व तथ्यों के आधार पर ऐसा महसूस किया गया कि जनजातियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति बहुत

दयनीय है अतः उनके विकास की योजनायें प्रारंभ हुई तथा सरकार द्वारा संविधान में आवश्यक अनुच्छेदों को समाहित कर जनजातीय विकास को नई दिशा दी गई इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजातीय विकास की समस्त योजनाओं के बारे में तथ्यात्मक जानकारी के साथ -साथ जनजातीय विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है। शोध अध्ययन में तथ्य संग्रहण हेतु प्राथमिक स्त्रोतों का उपयोग किया गया विभिन्न जनजातीय साहित्य व लेख के माध्यम से जानकारी एकत्र की गई, क्योंकि यह अध्ययन एतिहासिक पद्धति पर आधारित है अतः विभिन्न जनजातीय पुस्तकों का अध्ययन कर तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की गई।

विभिन्न कालों में जितने भी शासक आए वे सब किसी न किसी रूप में सांस्कृतिक राष्ट्रीयता को बनाए रखने में योगदान देते रहे हैं। जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ, तब धर्म निरपेक्ष संविधान की स्थापना हुई। प्रजातांत्रिक एवं गणतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित की गई। अब एकीकृत सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई। इस प्रक्रिया के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया। हमारे देश के निर्माताओं द्वारा ऐसा महसूस किया गया कि हमारे देश में कुछ मानवजातीय समूह ऐसे हैं जो सदियों से उपेक्षित. शोषित तथा उत्पीड़ित रहे हैं। इसके कारण उनके बीच विकास नहीं हो पाया है। वे इस देश के निवासी होते हुए भी विकास की दृष्टि से काफी पीछे रह गए हैं। उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सुरक्षा प्रदान करना तथा विभिन्न योजनाओं से उन्हें विकसित बनाना अत्यावश्यक समझा है। इसी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से उनमें राष्ट्रीय संस्कृति का विकास किया जा सकता है। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने में सहायक भी होगी।

जनजातियों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनमें राष्ट्रीय संस्कृति के विकास करने के लिए ही जनजातीय विकास की अवधारणा विकसित की गई है। हमारे धर्म निरपेक्ष संविधान में वर्णित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जनजातियों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सुरक्षा प्रदान की गई है तथा उनके विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं लागू की गई हैं।

1. अनुसूचित जनजातियों के लिये संवैधानिक सुरक्षा -

- सामाजिक सुरक्षा – हमारा संविधान अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता बनायें रखने की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 15 (4) शैक्षणिक व्यवस्था में जनजातियों को विशेष अधिकार दिये गये। अनुच्छेद 16 सभी को नौकरी का समान अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 16 (4) में सरकारी नौकरी में जनजातियों को आरक्षण की व्यवस्था की गई, अनुच्छेद 16 (4।) के अनुसार जनजातियों को सरकारी नौकरी में पदोन्नति का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 सभी को संपत्ति रखने खरीदने बेचने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 338 में जनजातियों के संवैधानिक सुरक्षा उपायों का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 339 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्यक्रम के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये आयोग की

नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 340 शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति में सुधार लाने की सिफारिश करता है। अनुच्छेद 342 में जनजातियों को सूची बद्ध करने की व्यवस्था की गई।

- **आर्थिक सुरक्षा** - जनजातियों को आर्थिक शैक्षणिक हितों की रक्षा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 46 में किया गया, अनुच्छेद 275 (1) में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम हेतु विशेष धनराशि उपलब्ध कराने के प्रावधान है। अनुच्छेद 335 में नौकरी एवं पदों की दावेदारी पर विचार रखने का अधिकार जनजातियों को है।
- **राजनीतिक सुरक्षा** - संविधान के अनुच्छेद 244 (1) में अनुसूचित जनजातियों को पांचवी अनुसूची के अनुसार प्रशासित तथा नियंत्रित होने का उपबंध है। अनुच्छेद 244 (2) में पूर्वोत्तर राज्य में पहचान देने की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में जनजातियों के लिये सीटों को आरक्षित करने की व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 332 विधान सभा में जनजातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 243 (क) के अनुसार ग्राम पंचायतों में जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान है।
- **नौकरी में आरक्षण** - संविधान के अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत जनजातियों को सरकारी नौकरी एवं पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है।
- **शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण** - संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत जनजातियों को सरकारी शिक्षण संस्थाओं में नामांकन के लिये आरक्षण का उपबंध है।

2. जनजातीय प्रशासन -

पांचवीं अनुसूची के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की व्यवस्था हमारे संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अनुसार दी गई है। जबकि छठी अनुसूची के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की व्यवस्था हमारे संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अनुसार दी गई है।

3. जनजातीय विकास कौशल एवं नीतियां -

आजादी प्राप्ति के बाद हमारे देश में विकास कौशल एवं नीतियों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन पंचवर्षीय योजना के रूप में किया गया। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में सामान्य विकास के साथ-साथ जनजातीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए। उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योजनाओं का सूत्रीकरण एवं क्रियान्वयन किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956) - इस पंचवर्षीय योजना में जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, गृह तथा आवागमन विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसी योजना काल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किए गए थे, जिनके माध्यम से कृषि विकास, यातायात सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण तथा कृषि सहायक उद्योग व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-1961) - इस

योजना अवधि में जनजातीय विकास हेतु 43 बहुउद्देशीय जनजातीय प्रखंड की स्थापना की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-1966) - में संपूर्ण देश में 415 जनजातीय विकास प्रखंडों की स्थापना की गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-1974) - में जनजातीय विकास हेतु जनजातीय विकास एजेंसियों की स्थापना की गई पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-1979) - में जनजातीय उपयोजना नामक एक अलग योजना की शुरुआत की गई। छठी पंचवर्षीय योजना (1979-1984) - में 50 प्रतिशत आबादी जनजातीय बहुल क्षेत्रों को जनजातीय उपयोजना में शामिल किया गया। योजना में जनजातीय विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, बागवानी, पशुपालन इत्यादि कार्यक्रम आरंभ किए गए। बैंक के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान की गई। सप्तम पंचवर्षीय योजना (1985-1990) - में आई.टी.डी.पी., माडा पाकेट्स, क्लस्टर्स, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स तथा विस्थापित जनजातीय जनसंख्या के विकास के ऊपर विशेष बल दिया गया। अष्टम पंचवर्षीय योजना (1992-1997) - में जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों को जारी रखा गया है। नवम पंचवर्षीय योजना (1997-2002) - में जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों को जारी रखा गया है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकास पर जोर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य तथा पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है। दसवीं पंचवर्षिय योजना (2002-2007) में अनुसूचित जाति जनजाति के आर्थिक विकास का प्रावधान के साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। ग्यारवीं पंच वर्षीय योजना (2007-2012) में मुख्य रूप से ग्रामीण, पिछड़े इलाके व जनजातीय क्षेत्रों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान था। बारहवीं पंचवर्षीय येाजना (2012-2017) इसमें ग्रामीण, शहरी व जनजातीय क्षेत्रों में कृषि उद्योग उर्जा परिवहन संचार के विकास को शामिल किया गया। तेरहवीं पंचवर्षीय योजना (2017-2022) इस योजना के अन्तर्गत व्यवस्था के साथ साथ जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गो के विद्यार्थियों के लिये रेमिडियल क्लासेस के तहत अलग से पढ़ाये जाने की व्यवस्था की गई।

4. जनजातीय विकास का परिवर्तित प्रादर्श -

आजादी प्राप्ति के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जनजाति विकास के लिए अपनाए गए प्रादर्शों में परिवर्तन होते रहा है। इसके परिणामस्वरूप जनजातीय विकास से संबंधित समय के साथ कई प्रादर्श हमारे सामने आते हैं। जनजातीय विकास से संबंधित विभिन्न परिवर्तित प्रादर्श इस प्रकार है। सामुदायिक विकास योजना, विशिष्ट वहुउद्देशीय जनजातीय प्रखंड, जनजातीय विकास प्रखंड, जनजातीय विकास एजेंसियां, समेकित जनजातीय विकास परियोजना, माडा पाकेट्स, क्लस्टर्स, आदिम जनजातीय समूह।

5. जनजातीय उपयोजना -

जनजातीय उपयोजना नामक विकास मॉडल को पंचम पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। पंचम पंचवर्षीय योजना के आगमन पर योजना आयोग भारत सरकार द्वारा सन् 1971 में विशेषज्ञों का एक कार्यदल गठित किया गया। इस कार्यदल गठन का मुख्य उद्देश्य जनजातीय विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर देश

ISSN 2395-051X

के जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु कार्यक्रम का दिशा-निर्देश प्राप्त करना था। इस कार्यदल के रिपोर्ट के अनुसार पहले की जनजातीय विकास योजनाओं में जनजातीय क्षेत्रों की अनदेखी की गई थी। जनजातीय क्षेत्रों को विकास समस्या न मानकर कल्याण समस्या माना गया था। इस कार्यदल द्वारा जनजातीय क्षेत्र एवं जनजातीय समस्याओं को तीन भागों में विभाजित किया गया, जो निम्नलिखित हैं 1. जनजातीय केन्द्रीकरण का क्षेत्र 2. बिखरी हुई जनजातियां 3. आदिम जनजातीय समूह।

तीनों प्रकार के जनजातीय क्षेत्रों के विकास तथा उनकी जनजातीय समस्याओं के समाधान हेतु जनजातीय उपयोजना नामक विकास स्ट्रेटजी का नाम दिया गया। इसका मुख्य कार्य टी.एस.पी. क्षेत्रों के लिये संसाधनों की पहचान करना, इन क्षेत्रों में विकास के लिये विस्तृत नीति तैयार करना तथा क्रियान्वयन करवाना था।

6. जनजातीय मामलों का मंत्रालय -

इस मंत्रालय का मुख्य लक्ष्य जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को संगठित एवं योजना बद्ध तरीके से करना था। जनजातीय कार्यमंत्रालय जनजातीय विकास कायक्रम के नीति निर्धारण परियोजना एवं संयोजन से संबंधित नोडल मंत्रालय है जनजातीय कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों को स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर सितंबर 1985 तक गृह मामलों के मंत्रालय के एक विभाग के रूप में जिसे जनजातीय विभाग के नाम से जाना जाता था। जिसके अंतर्गत कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को लागू किया जाता था। सितंबर 1985 से मई 1998 तक कल्याण मंत्रालय द्वारा जनजातीय विकास के कार्य होते थे। मई 1998 से सितंबर 1999 तक सामाजिक न्याय सशक्तिकरण या अधिकारिता मंत्रालय। द्वारा जनजातीय कल्याण संबंधी कार्य किये जाते थे। जनजातीय कार्य मंत्रालय अक्टूबर 1999 से अपना कार्य करना आरंभ कर दिया था। इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया तथा इस मंत्रालय के अधीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को बांटकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विकास निगम की स्थापना 2000-2001 में कर ली गई है।

7. जनजातीय विकास एवं कल्याण योजनाएं -

जनजातीयय कार्य मंत्रालय जनजातीय विकास एवं कल्याण हेतु अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये सहायता प्रदान करता है। जनजातीय मंत्रालय द्वारा जनजातीय विकास हेतु अनेक कार्यक्रमों को संचालन किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है।

- जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता – जनजातीय कार्य मंत्रालय टी.एस.पी. वाले राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों एवे असम मणिपुर तथा त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों को जनजातीय विकास एवं कल्याण के लिये विशेष सहायता प्रदान करता है।

- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत - अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक वर्ष भारत सरकार को समेकित निधि से परियोजनाओं पर खर्च के लिये अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था देता है यह केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनायें होती हैं जिसका संपूर्ण व्यय जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है इस परियोजना का मुख्य उदेश्य जनजातीय लोगों के जीवन स्तर को राज्य के अन्य लोगों के समकक्ष लाना है।
- राज्य जनजातीय विकास सहकारिता निगम को अनुदान – इस योजना के अन्तर्गत उन सभी राज्यों को शामिल किया गया जहां जनजातीय विकास सहकारी निगमों या लघुवन उपज व्यापार विकास संघ के माध्यम से लघुवन उपजों का संकलन किया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकास प्रस्ताव से संतुष्ट होने के उपरांत शत प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
- ट्राइफेड को मूल्य समर्थन व्यापार एवं शेयर पूंजी निवेश - ट्राइफेड का मुख्य उदेश्य जनजातीय लोगों को रोजगार के उचित अवसर प्रदान करना है। इसके अलावा जनजातीय उत्पादों का निर्यात करना, जनजातीय उत्पादों के संकलन एवं विपणन में लगे हुये राज्यस्तर जनजातीय एवं वन संगठनों को विपणन वित्तीय सहायता प्रदान करना भी इसका प्रमुख कार्य है। जनजातीय मंत्रालय द्वारा ट्राइफेड का शेयर पूंजी तथा समर्थन मूल्य व्यापार के लिये अनुदान देता है।
- जनजातीय गांव में अन्न बैंक की स्थापना - अकाल बाढ़ भुखमरी तूफान बीमारी आदि की स्थिति में जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये अन्न बैंक योजना लागू की गई इसमें जिस परिवार को अनाज की आवश्यकता होती है वे उस अन्न बैंक से किसी भी समय अनाज प्राप्त कर सकते हैं इसका मुख्य उदेश्य प्राकृतिक आपदाओं के समय भोजन उपलब्ध कराना तथा जनजातियों की भुखमरी से होने वाली मौत को रोकना।
- अनुसूचित जनजातियों के लिए बालिका छात्रावासों का निर्माण- यह योजना अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं के बीच शिक्षा के प्रसार हेतु चलाई गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय बालिकाओं को छात्रावास में रखकर शिक्षा प्रदान करना है जो गरीब आर्थिक स्थिति के कारण अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाती हैं। छात्रावास भवन का निर्माण जनजातीय उपयोजना क्षेत्र के अंदर या बाहर किया जा सकता है, लेकिन इसका लाभ केवल जनजातीय छात्राओं को दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत मध्य, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाली जनजातीय बालिकाओं एवं किशोरियों को लाभ प्राप्त होता है। यह योजना 1989-90 से ही जारी है।
- जनजातीय बालकों एवं किशोरों के लिए छात्रावास निर्माण - यह योजना 1989-90 से जारी है। यह योजना जनजातीय उपयोजना के सभी क्षेत्रों में लागू है। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय बालकों को शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन सुनिश्चित करना है। इस योजना के माध्यम से उन

जनजातीय छात्रों को विशेष लाभ मिला है जिनके गांवों में स्कूल नहीं थे तथा पढ़ाई के लिए ज्यादा दूर जाना पड़ता था। यह योजना स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय स्तर शिक्षा के लिए लागू की गई है।

- **आश्रम विद्यालय स्थापना योजना** – जनजातीय विकास एवं कल्याण की यह योजना 1990-91 से ही जारी है। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर के आश्रम स्कूलों का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा पहले के आश्रम स्कूलों का उन्नयन भी किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत स्कूल भवन, छात्रावास, स्टाफ के रहने के लिए आवासीय भवनों का निर्माण किया जाता है।
- **अनुसंधान एवं प्रशिक्षण** -यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना में संस्थाओं या संगठनों को अनुसधान व मूल्यांकन कार्य करने के लिये सेमीनार व कार्यशाला आयोजित करने के साथ-साथ जनजातियों पर साहित्य प्रकाशन होने पर शत प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।
- **जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को अनुदान** - इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य सरकारों के परियोजन निवेश में जनजातीय शोध संस्थानों के प्रयासों को समर्थन देना एवं शक्तिशाली बनाना है। जनजातीय शोध संस्थान अध्ययन एवं मूल्यांकन कार्य करके, कार्यशाला एवं सेमिनार आयोजित करके, परंपरागत कानूनों को लिखित रूप देकर, जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना एवं प्रदर्शन द्वारा राज्य सरकारों को प्रमुख परियोजन में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
- **जनजातीय विकास के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करने के लिए अनुसंधान छात्रवृत्ति योजना** – यह परियोजना विभिन्न विषय के पीएच.डी. छात्रों के लिए लागू की गई है। इसके अंतर्गत मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, कृषि विज्ञान एवं चिकित्साशास्त्र के पीएच. डी. विद्यार्थियों को अनुसंधान करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अध्ययन की विषयवस्तु जनजातीय समुदायों में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन से संबंधित होना चाहिए।
- **जनजातियों के लिए अखिल भारतीय/अंतरराज्यीय अनुसंधानों को समर्थन**– इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं-गैर-सरकारी संगठनों एवं विश्वविद्यालयों को अनुसंधान कार्य हेतु जनजातीय कल्याण से संबंधित कार्यशाला तथा जनजातीय साहित्य के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण** – इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय युवाओं की दस्तकारी का विकास करना है ताकि उन्हें रोजगार मिल सके या वे स्वरोजगार योजना का लाभ उठा सकें। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1992-93 में की गई थी। उस समय से प्रारंभ यह योजना आज भी जारी है।
- **महिला साक्षरता विकास के लिए निम्न साक्षरता पाकेट्स में शैक्षणिक संकुल योजना** - इस

परियोजना को वर्ष 1993-94 में उन 134 जिलों में लागू किया गया था जहां अनुसूचित जनजाति में महिला साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम थी। इस परियोजना को गैर-सरकारी संगठनों, सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्थानों तथा पंजीकृत सहकारी समितियों के माध्यम लागू किया गया था। इस परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य चिन्हित निम्न साक्षरता वाले (जिलों) में जनजातीय बालिकाओं के बीच साक्षरता का विकास करना है।

- आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए योजनाएं - इस योजना के अंतर्गत उन क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है जो आदिम जनजातियों के अस्तित्व, सुरक्षा एवं विकास के लिए अत्यंत निर्णायक होते हुए भी उन्हें चल रही योजनाओं में किसी कारण से नहीं शामिल किया जा सका है। इस योजना के क्रियाकलाप का स्वभाव लचीला है। क्योंकि इस योजना में शामिल आदिम जनजातियों की आवश्यकताएं सभी राज्यों एवं सभी जनजातियों के लिए एक समान नहीं हैं।
- अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्य में लगे स्वयं सेवी संगठनों को सहायक अनुदान - इस योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय शिक्षा, साक्षरता, चिकित्सा, स्वास्थ्य देख-रेख, कृषि, बागवानी तथा कारीगरी जैसे रोजगारोन्मुख कार्यक्रम में लगे स्वयंसेवी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को सहायक अनुदान देता है।
- मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना - यह योजना अनुसूचित जाति के प्रत्येक छात्र एवं छात्रा के लिए है जो भारतवर्ष में मैट्रिक के बाद अध्ययन करते हैं। छात्रवृत्ति एवं वित्तीय सहायता राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा प्रदान की जाती है जहां के वे स्थायी निवासी होते हैं।
- विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना-इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय छात्र - छात्राओं को विदेशों में उच्च अध्ययन कर अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए उत्प्रेरित करना है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्रा को मिल पाता है जिनका चुनाव मास्टर, डॉक्टरल या पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान के लिए इंजीनियरिंग, तकनीकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में हुआ रहता है।
- पुस्तक बैंक योजना - इस योजना का मुख्य उदेश्य अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रेरित करना है तथा जनजातीय छात्रों को आधुनिक व नवीन प्रकाशित पुस्तको को उपलब्ध कराना है।
- मेधा उन्नयन योजना - इस योजना का मुख्य लक्ष्य वर्ग IX से XII के अनुसूचित जनजातियों के छात्र/छात्राओं को सुधारात्मक एवं विशेष मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि वे अपनी प्रतिभा को उन्नतिशील बना सकें। इस योजना के माध्यम से जनजातीय विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के योग्य बनाया जाता है।

ISSN 2393-051X

> प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी एवं संबन्द्र योजना - इस योजना का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को विभिन्न पदों एवं सेवाओं के लिए आयोजित परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने तथा अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए परीक्षा पूर्व मार्गदर्शन देना एवं तैयारी कराना है।

8. जनजातीय विकास कार्य का मूल्यांकन संबंधी योजना -

अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का मूल्यांकन की भी व्यवस्था है। जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय विकास एवं कल्याण के संपूर्ण नीति निर्धारण, परियोजना एवं संयोजन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। अतः इन कार्यों के मूल्यांकन की जिम्मेदारी जनजातीय कार्य मंत्रालय की होती है।

9. वन धन विकास योजना 2018 -

जनजातीय समुदाय के लोगों को लाभान्वित करने के लिये 14 अप्रैल 2018 को वन धन विकास योजना की शुरूआत भारत सरकार द्वारा की गई इस योजना का मुख्य उदेश्य जमीनी स्तर पर जनजातीय समुदाय को व्यवस्थित करना, जनजातियों द्वारा वन उत्पाद एकत्रित कर कारीगरों को आजीविका उपलब्ध कराने हेतु प्रयास करना, जनजातियों को वनोपज संग्रहण व उपयोग की शिक्षा देना, जनजातीय समूह की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के साथ ही प्राथमिक स्तर पर एम. एफ. पी. में मूल्य वृद्धि कर जनजातियों को विकास करना है। इस योजना में गैर लकड़ी के वन उत्पादन का उपयोग करके जनजातियों के लिये आजीविका के साधन उत्पन्न कराने का प्रमुख ध्येय रखा गया।

आजादी के बाद से ही जनजातीय विकास पर लगातार ध्यान दिया जाता रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अनेक उपयोजना लागू कर जनजातीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किये गये हैं। तथा विभिन्न अनुच्छेदों में जनजातियों के कल्याण व उनके शोषण को रोकने के व्यापक प्रबंध किये गये है। जनजातियों के विकास के लिये मंत्रालय स्तर पर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के अनेक प्रयास किये गये हैं। संविधान के 73 वें संशोधन के कारण जनजातियों के प्रतिनिधि पंचायती व्यवस्था में देखे जा सकते हैं क्योंकि इसमें भी अनुसूचित जनजातियों का स्थान जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षित रखने का प्रावधान है। इसी प्रकार वन अधिकार अधिनियम (2006) भारत में एक ऐतिहासिक वन कानून बना जिसमें अनुसूचित जनजाति को वन संसाधनों पर व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है। इसमें 2012 में संशोधन भी किया गया। आज जब देश कोविड 19 की महामारी से जूझ रहा है अनुसूचित जाति जनजातियों को इस महामारी के कारण आजीविका के साथ-साथ आश्रय, खाद्य असुरक्षा, शारीरिक कठिनाईयां स्वास्थ्य चिंता आदि समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है ऐसे में वन अधिकार अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन और महत्वपूर्ण हो जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि आजादी के बाद से जनजातियों के विकास व कल्याण योजनाओं के क्रियान्वय के बाद भी जनजातीय विकास की अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी है तथा निर्धारित लक्ष्यों को भी पूरा नहीं किया जा सका है। समाज वैज्ञानिकों को उनके कारणों को खोजना होगा तथा दूर करने का प्रयास भी करना होगा क्या कारण है कि विकास के

लगातार सरकारी प्रयासों के बावजूद भी देश में जनजातियां असुरक्षा की भावना के साथ जी रही है। उन्हें हमेशा अपनी जमीन और परिवेश से उजाड़े जाने का खतरा भी बना रहता है। आज जनजाति विरोध प्रदर्शन के द्वारा अपने हक की लडाई लड़ रही है योजनाओं के सही क्रियान्वयन का अभाव उनकी समस्या का मुख्य कारण है। एक लोककल्याण-कारी राष्ट्र होने के कारण उनके समुचित संरक्षण की जानकारी सरकार की है। जरूरत है समय रहते इनकी समस्यायों पर समुचित ध्यान दिया जाये इनकी समस्यायों को ईमानदार प्रशारानिक व्यवस्था द्वारा दूर करने का प्रयास किया जाये। राजनीतिक इच्छाशक्ति व वितरण प्रणाली में सुधार कर हम जनजातियों की खोई सांस्कृतिक विरासत को वापिस ला सकते है। शिक्षित जनजातीय युवाओं के बीच केरियर काउंसलिंग के तहत राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा सिविल सेवा की महत्वपूर्ण जानकारी देकर इनको प्रोत्साहित कर सकते है तथा जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं। जनजातियों की समस्यायों को जानने के लिये उनका अपना सहयोग लेना बहुत आवश्यक है। स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से जनजातियों से संपर्क कर उनकी बातों को समझना बहुत आवश्यक है इसके साथ ही मानव वैज्ञानिकों व समाज वैज्ञानिकों की सहायता से जनजातियों पर अनुसंधान को महत्व भी दिया जाना चाहिये समय व परिस्थिति के अनुसार समय-समय पर नीतियों का पुर्ननिर्धारण किया जाये। योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा जनजातीय विशेषज्ञों द्वारा होती रहे। तभी हम जनजातियों को राष्ट्रधारा से जोड़ने में सफल हो पायेंगे तथा राष्ट्रीय विकास की दिशा में योगदान दे पायेंगे।

सदंर्भ -

1 राव, व्ही. श्रीनिवास : ट्राइबल इन्टेग्रेशन इन इण्डिया, रावत पब्लिकेशन जयपुर , 2021

2 मीना, मंगल चंद : भारत का जनजातीय इतिहास, रावत पब्लिकेशन जयपुर 2019

3 चौधरी एस.एन. एवं मनीष मिश्रा : आदिवासी विकास उपलब्धियां एवं चुनौतियां भाग -1 कान्सेप्ट पब्लिशिंग, नई दिल्ली 2012

4 पाण्डे, गया : भारतीय जनजातीय संस्कृतिक कंसेप्ट, पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली , 2007।

5 वैद्य, नेरश कुमार : जनजातीय विकास मिथक एवं यथार्थ, रावत पब्लिकेशन जयपुर 2003

6 पूरण, मल : दलित संघर्ष और सामाजिक न्याय, अविष्कार पब्लिशर्स जयपुर 2002

7 गुप्ता, राजेश : भारत में आरक्षण नीति मानक पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2000

8 शर्मा, ब्रम्हदेव : आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 1994

9 चौहान, आभा : ट्राइबल वूमेन एण्ड सोशल चेंज इन इंडिया, ए.सी. ब्रदर्स पब्लिकेशन, इटावा, 1990।

10 दास, आर. के. : मनीपुर ट्राइबल रकेन स्टडी इन सोसायटी एण्ड चेंज, इण्टर इण्डिया पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1985

11 अजीत, रायजादा : ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्यप्रदेश, इंटर इंडिया पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1984।

12 धुरिये, जी. एस. : द शेड्यूल ट्राइब्ज, पापुलर प्रकाशन बाम्बे, 1963।

13 एल्विन व्ही. : ए न्यू डील फार ट्राइबल इंडिया, प्रकाशन भारत सरकार, नई दिल्ली, 1961

14 मजूमदार, डी. एन. एवं टी. एन. मदान : रेसेज एण्ड कल्चर्स ऑफ इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे, 1961

15 हट्टन, जे. एच. : कास्ट इन इंडिया, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1957।